कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 449 भोपाल, दिनांक ~~20~~ 23 जनवरी 2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल सीहोर

विषयः– सीहोर जिले के परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत महादेव वेन्द्रा तालाव निर्माणार्थ व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित, **23.000 हेक्टेयर** वनभूमि जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने वावत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक/माचि/121 दिनांक 17/01/2023

----0----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा परिक्षेत्र रेहटी अंतर्गत **महादेव वेन्द्रा तालाव निर्माणार्थ व्यपवर्तन हेतु वन कक्ष क्रमांक 487 एवं 488 की कुल 23.000 हेक्टेयर वनभूमि, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर को उपयोग पर देने के लिए, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, प्रस्ताव ऑन लाईन सवमिट किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।**

प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई हैः–

1. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग जिला सीहोर द्वारा परिक्षेत्र रेहटी में महादेव वेन्द्रा तालाव निर्माण हेतु 36.141 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन वावत् आवेदन किया गया। परन्तु आपके प्रतिवेदन अनुसार वनपरिक्षेत्र रेहटी के कक्ष क्रमांक–487 एवं 488 में कुल 23.000 हेक्टेयर वनक्षेत्र प्रभावित होना है तथा शेष 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र, वन परिक्षेत्र रेहटी के वाहर, असीमांकित क्षेत्र है। अतः आपके द्वारा उक्त 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र को कम करके कुल 23.000 हेक्टेयर वनभूमि, के व्यपवर्तन की अनुमति हेतु ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैं।

जबकि प्रकरण में प्रस्तुत प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 49 पर संलग्न स्थल निरीक्षण के पंचनामा अनुसार **शेष 13.141 हेक्टेयर क्षेत्र, खसरे में जंगल डिमारकेशन लिखा हैं।**

उल्लेखनीय हैं कि विविध याचिका क्र 202/95 श्री गोदावर्मन विरूद्ध भारत शासन एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/12/96 को पारित अंतरिम आदेश अनुसार <u>वनभूमि का तात्पर्य ऐसी समस्त भूमि से हैं जो शब्दकोषीय अर्थ अनुसार "वन" हैं, जिसमें ऐसी भूमि भी शामिल होगी जो कि शासकीय अभिलेख में वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उसका स्वामित्व किसी प्रकार का भी हो।</u> ***<u>अतः उक्त</u>*** **<u>13.141 हेक्टेयर क्षेत्र पर भी वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान लागू होंगे।</u> इस प्रकार 23.00 हे0 वनक्षेत्र एवं 13.141 हे0 राजस्व वनक्षेत्र <u>कुल 36.141 हे0 वनक्षेत्र के व्यपवर्तन की अनुमति हेतु</u> स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित <u>प्रस्ताव प्रस्तुत करें।</u>**

2. ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव के भाग 1 के अनुक्रम (F) Displacement of People due to the Project, if any में आवेदक द्वारा No लेख किया गया हैं। जवकि आपके स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के विंदु क्र/12 , 13 एवं 14 अनुसार उक्त वनभूमि पर आश्रित लोगो/परिवार का विस्थापन होना हैं।

3. इसी प्रकार प्रस्ताव के भाग 1 के अनुक्रम (B2.1), (B2.2), (B2.3), (B2.4) अनुसार प्रकरण में उपरोक्त 36.141 हे0 वनभूमि **के अतिरिक्त 34.576 हे0 राजस्व भूमि भी प्रभावित हो रही है।** **<u>अतः उचित होगा कि उक्त 34.576 हे0 राजस्व भूमि में भी कोई राजस्व वनभूमि अर्थात छोटे बड़े झाड़ का जंगल तो नहीं हैं, इस आशय का संबंधित तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न किया जावे,</u>** ताकि वाद में कोई वाधा उत्पन्न न हो।

4. संलग्न मानचित्रों पर कोई legend अंकित नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि प्रभावित वनक्षेत्र, राजस्व वनक्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र, डूवक्षेत्र इत्यादि कोनसा हैं होना चाहिए, अतः कृपया तदानुसार मानचित्रों में legend अंकित करे। जिससे मेप देखने पर एक नजर में संपूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सके।

अतः आपसे प्राप्त प्रस्ताव मूलतः वापस किये जाते हैं। कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति/समाधान उपरांत, आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर, पूर्ण रूपेण प्रस्ताव ऑन लाईन, प्रस्तुत कर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति 3 प्रति में उसी दिन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त,भोपाल

20/1/23

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc

P.T.O

पृष्ठांकन क्रमांक/माचि/ 450 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2023

प्रतिलिपिः–

1 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रवंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।

2. कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ ।

3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित्।

वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

20/1/23

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc